न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 04/2009 G.C.M.S. No. 2009/00011 दर्ज दिनांक : 19.03.2009

प्रार्थीगण:

1. समेला पुत्र गमनाजी, जाति मेघवाल निवासी सुरावा, तहसील सांचोर, जिला जालोर (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण:

1. हरचंद पुत्र पूंजाजी
2. पीछा पुत्र पूंजाजी
3. करजी पुत्र पूंजाजी
4. रगा पुत्र पूंजाजी
5. गोकला पुत्र पूंजाजी
6. संतोक बेवा पूंजाजी कौम मेघवाल, निवासीगण सुरावा, तहसील सांचोर, जिला जालोर (राज.)
7. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर, जिला जालोर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बसिलसिले राजस्व अपील जालोर/डिक्री 196/2000 निर्णय दिनांक 20.04.2006 बअनवान समेला बनाम हरचंद वगैरह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित–

1. श्री बसंतकुमार गहलोत, श्री जगदीश चारण, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री त्रिलोकचंद मेहता, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 27.01.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बसिलसिले राजस्व अपील जालोर/डिक्री 196/2000 निर्णय दिनांक 20.04.2006 बअनवान समेला बनाम हरचंद वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि प्रार्थी अपीलांट ने श्रीमान के न्यायालय में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2000 राजस्व वाद संख्या 60/1999 के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थीं, जिसमें बाद सुनवाई बहस अंतिम के श्रीमान द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाते हुए अपीलांट के पक्ष में खातेदारी हकों की घोषणा फरमाते हुए डिक्री प्रदान की गई थीं। सबूतार्थ निर्णय दिनांक 20.04.2006 की प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रकरण में विवादित आराजी के पुराने खसरा संख्या 217 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय में से 5 बीघा भूमि के नये खसरा संख्या 323/965

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रकबा 0.25 ऐयर व खसरा संख्या 324 रकबा 0.56 ऐयर कुल रकबा 0.81 ऐयर बनें। निर्णय में विवादित आराजी के खसरा संख्या 324 न लिखकर लिपिकीय त्रुटि से खसरा संख्या 321 लिखे गये हैं, जो एकमात्र लिपिकीय त्रुटि है। जिसे न्यायहित में खसरा संख्या 321 के बजाय 324 दर्ज किया जाना न्यायोचित है। श्रीमान ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 व 4 में खसरा संख्या 324 के बजाय खसरा संख्या 321 दर्ज किये है, जिसे दुरूस्त कर खसरा संख्या 324 दर्ज फरमावें। इसके अतिरिक्त श्रीमानजी ने अपने निर्णय दिनांक 20.04.2006 के साथ सहवन से डिक्री पर्चा मुर्तिब नहीं किया है, जोकि न्यायहित में डिक्री पर्चा मुर्तिब फरमाया जाना आवश्यक है। अंततः न्यायहित में निर्णय दिनांक 20.04.2006 में विवादित आराजी के खसरा संख्या 321 के बजाय 324 दुरूस्त फरमाया जाकर दुरूस्ती की जावें एवं निर्णय दिनांक 20.04.2006 का डिक्री पर्चा भी मुर्तिब फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा न्यायालय हाजा की निर्णित पत्रावली तलब की गई। हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व अपील संख्या 196/2000 निर्णय दिनांक 20.04.2006 में विवादित आराजी के खसरा संख्या 324 न लिखकर लिपिकीय भूल से 321 लिखे गये। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2006 में विवादित आराजी के खसरा नंबर 321 के बजाय 324 दुरूस्त फरमाया जावें।
2. हमनें न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित अपील के अपीलमीमो एवं निर्णय का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अपने अपीलमीमो में वादग्रस्त आराजी के पुराना खसरा संख्या 217 तथा नवीन खसरा संख्या 321 व 323/965 अंकित किया है तथा अपीलमीमो के पृष्ठ संख्या 4 में अनुतोष में भी इन्हीं खसरा संख्या का अंकन किया है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2006 के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में खसरा संख्या 321 एवं 323/965 अंकित किया है। इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि निर्णय में उन्हीं खसरान का अंकन किया गया है, जिनका उल्लेख अपीलांट द्वारा अपीलमीमो में किया गया। अतः न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि साबित व दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण अंतर्गत धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल पत्रावली न्यायालय हाजा के अभिलेखागार में जमा की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.01.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली